"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 450] रायपुर, बुधवार दिनांक 26 अगस्त 2015 — भाद्रपद 4, शक 1937

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-68/2015/11/6. — राज्य शासन एतद्द्वारा "औद्योगिक नीति 2014-19" में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 1 नवंबर 2014 से "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2014" निम्नानुसार लागू करता है :-

1 - परिचय:-

राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद श्रेणी के उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने, अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, विदेशी तकनीक वाले उद्यमियों को राज्य में पूंजी निवेश हेतु आकर्षित करने तथा महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, नि:शक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना का विस्तार किया गया है.

इस विस्तारित योजना के तहत् व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई. टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स संबंधी उद्योगों को मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन देने मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा में भी कमी की गयी है.

यह अधिसूचना पात्र उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन), स्थापित राईस मिलों का आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) व कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना व इनके विस्तार तथा फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियों की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर लागू होगी.

2 - नियम :-

ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2014" कहे जायेंगे.

3 - प्रभावशील तिथि :-

ये नियम दिनांक 01-11-2014 से प्रभावशील होंगे.

4— **परिभाषाएं :—**

इस अधिसूचना के अन्तर्गत नियमों के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होगीं जो औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—1 पर संलग्न हैं।

5— **पात्रता :—**

5.1— औद्योगिक नीति 2014—19 की कालावधि दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले **''उपाबंध —2''** एवं **''उपाबंध —3''** में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर शेष सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना /विद्यमान उद्योगों के विस्तार/ शवलीकरण पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5.2— यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करना होगा।

सेवा उद्यमों यथा लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण, फिल्म उद्योग से संबंधित प्रकरणों में वाणिज्यिक रूप से कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से उपरांकित शर्त का पालन करना होगा।

5.3— पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण आवेदन करना होगा।

5.4— जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई. एम. पार्ट —1 / आई.ई.एम./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009—2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2014—19 के अन्तर्गत (औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—2 में दर्शाये गये अनुसार उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत करने एवं ग्राहय होने पर अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा व पात्रता होगी।

5.5 — यदि भारत सरकार/ राज्य शासन के अन्य विभाग/निगम/ बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान प्राप्त किया गया हो व अनुदान की राशि इस अधिसूचना के अंतर्गत मान्य अनुदान की राशि से कम है तो अंतर की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि अनुदान की राशि इस अधिसूचना के अंतर्गत मान्य अनुदान की राशि से अधिक है तो इस अधिसूचना के अधीन अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

5.6 —स्ववित्त पोषित उद्योगों को भी अनुदान की पात्रता होगी ।

5.7 –औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, (जो संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची में है) जो 1 नवम्बर 2014 की स्थिति में विद्यमान उद्योग रहा है व औद्योगिक नीति 2014–19 में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण पर इस अधिसूचना के तहत अनुदान की पात्रता होगी।

5.8– लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज के विस्तार को औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु सामान्य उद्योगों की भांति निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन कंडिका 6 ''अनुदान की मात्रा'' शीर्षक के तहत् तालिका के अनुरूप अनुदान की पात्रता होगी ।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत जारी किये जाने वाले मापदण्ड लागू होंगे।

5.9– राज्य में स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण की परिभाषा के अन्तर्गत प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रू. 100 लाख का निवेश करते हुए राईस मिलों का आधुनिकीकरण करने वाले उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता कंडिका 6 ''अनुदान की मात्रा'' शीर्षक के तहत् तालिका के अनुरूप होगी।

5.10–औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर अनुदान की पात्रता सामान्य नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान की पात्रता कंडिका 6 ''अनुदान की मात्रा'' शीर्षक के तहत् तालिका के अनुरूप होगी ।

5.11–राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, जो 1 नवम्बर 2014 को विद्यमान उद्योग की परिभाषा में आता है व औद्योगिक नीति 2014–19 में संतृप्त (अपात्र उद्योग) श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण पर अनुदान की पात्रता होगी ।

5.12–प्राथमिकता उद्योगों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता हेतु यह आवश्यक है कि राज्य शासन द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में निर्धारित न्यूनतम पूंजी निवेश से अधिक मात्रा में निवेश पात्र उद्योग द्वारा किया जावे।

6– <u>अनुदान की मात्रा :–</u>

6.1 पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम एवं वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के उद्योगों को निम्नांकित तालिका अनुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा–

6.2– कंडिका 5.8, कंडिका 5.9 एवं कंडिका 5.10 के पात्रताधारियों को भी पात्रता अनुरूप इसी तालिका अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(1) नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग –

तालिका

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ– औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–7 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 30.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 31.50 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 33.00 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 63.00 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 66.00 लाख) (4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)
श्रेणी ब– औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट –8 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 63.00 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 84.00 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 66.00 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)	को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 88.00 लाख) (4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120.00 लाख)

(2) नवीन मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ– औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–7 अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 63.00 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 66.00 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 70.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 73.50 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 77.00 लाख) (4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख)
श्रेणी ब– औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 70.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
2014—19 के परिशिष्ट—8 अनुसार)	तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 73.50 लाख) (3)— महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 77.00 लाख) (4)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 90.00 लाख)	उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 105.00 लाख) (3)— महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110.00 लाख) (4)— अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 125.00 लाख)

(3) नवीन वृहद उद्योग —

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ— औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—7 अनुसार)	(1)— सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 90.00 लाख) (2)— अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 94.50 लाख) (3)— महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 99.00 लाख) (4)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख)	(1)— सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110.00 लाख) (2)— अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 115.50 लाख) (3)— महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 121.00 लाख) (4)— अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0120.00 लाख)

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी ब– औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–8 अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120.00 लाख)
	(2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 105.00 लाख)	(2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 126.00 लाख)
	(3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110.00 लाख)	(3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 132.00 लाख)
	(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120.00 लाख)	(4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 140.00 लाख)

(4) नवीन मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ– औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–7 अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350.00 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350.00 लाख)
	(2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 367.50 लाख)	(2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 367.50 लाख)
	(3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद	(3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 385.00 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350.00 लाख)	से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 385.00 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350.00 लाख)
श्रेणी ब– **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–8 अनुसार)**	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 525.00 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 550.00 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500.00 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक(एफ0डी0आई0)/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाऐं प्रारम्भ करने वाले निवेशकों द्वारा उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 525.00 लाख) (3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 550.00 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500.00 लाख)

(5)– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का विस्तार

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के विस्तार पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की दर एवं अधिकतम सीमा ''योजना'' में विस्तार हेतु किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर उपरोक्त तालिका अनुसार ही होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान की राशि किसी भी दशा में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नही होगी।

(6)– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का शवलीकरण–

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की दर एवं अधिकतम सीमा ''योजना'' में शवलीकरण हेतु किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर उपरोक्तानुसार तालिका अनुसार ही होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान की राशि किसी भी दशा में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नही होगी।

6.3– उपरोक्तानुसार अंकित उद्यमी यदि औद्योगिक नीति 2014–19 की कंडिका 15.20 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में अथवा नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में नवीन भू–आबंटन प्राप्त कर उद्योग स्थापित करते हैं तो ऐसे उद्योगों हेतु अनुदान की दर निर्धारित दर से 10 प्रतिशत अधिक होगी एवं अनुदान की अधिकतम सीमा भी निर्धारित सीमा से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

7 <u>प्रक्रिया</u>

7.1– पात्र औद्योगिक इकाईयों को **''उपाबंध 1''** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन निम्नांकित स्वप्रमाणित दस्तावेजों (जो लागू हो) के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एक प्रति में तथा इससे भिन्न प्रकरणों में दो प्रतियों में पूर्ण आवेदन देना होगा।

(1) वैध–लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में इंद्राज की प्रति ।

(3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) की प्रति

(4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का **"उपाबंध 6"** पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

(5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का **"उपाबंध–07"** पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म व लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति)

(6) स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत किये गये निवेश की **''उपाबंध–08''** पर निर्धारित प्रारूप में मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति)

(7) भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों/वित्तीय संस्थाओं/बोर्ड/लघु उद्योग विकास बैंक/सिडवी आदि से स्थायी पूंजी निवेश पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र

(8) मूल्य संवर्धितकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र/अभिलेख

(9) निवेशक के वर्ग से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

आवेदन प्राप्ति की रसीद **''उपाबंध–04(अ)''** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी। इस अभिस्वीकृति में पंजीयन क्रमांक का उल्लेख होगा, अपूर्ण प्रकरण में कमियॉ एक साथ बताते हुए वापिस किये जायेंगे। कमी पूर्ति से संबंधित पत्र में यह भी उल्लेख होगा कि पूर्ण प्रकरण की प्राप्ति पर ही पंजीयन होगा। उद्योग संचालनालय को भी प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक का दायित्व होगा कि वे प्रकरण पूर्ण कर उद्योग संचालनालय को प्रेषित करें।

पूर्ण प्रकरण पंजीयन क्रमांक दर्शाते हुए समिति के समक्ष रखे जायेंगे अर्थात् सक्षम समितियों के समक्ष प्रकरण उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में प्राप्त हुए हैं अर्थात् पंजीयन क्रमांक 1, 2, 3 ,4, ... ।

7.2– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन **''उपाबंध 5''** के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक (औद्योगिक इकाई हेतु नामांकित उद्योग मित्र) से करा कर अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता संबंधी अनुशंसा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में जिला स्तरीय समिति में तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अभिमत/अनुशंसा के साथ उद्योग संचालनालय को प्रेषित किये जावेंगे । ऐसे प्रकरणों का निराकरण उद्योग संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

7.3– राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार की सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81, दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जायेगी ।

7.4– जिला/राज्य स्तरीय समिति से प्रकरण स्वीकृत होने के निर्णय उपरांत अनुदान स्वीकृति से संबंधित समस्त इकाईयों को एक साथ अनुदान स्वीकृति बाबत सूचना पत्र पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जावेगा। इस सूचना पत्र में यह स्पष्ट रूप से लेख होगा कि सूचना पत्र के साथ संलग्न अनुबंध के प्रारूप अनुसार अनुबंध का निष्पादन व

पंजीयन कराकर मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जावें एवं पंजीकृत मूल प्रति प्राप्त होने के उपरांत ही "उपाबंध–09" पर निर्धारित प्रारूप में अनुदान–स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा व अनुदान का वितरण अनुदान स्वीकृति के क्रम में होगा। सूचना पत्र के साथ अनुबंध का प्रारूप भी संलग्न होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी।

अनुबंध की मूल प्रति की प्राप्ति पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इसकी अभिस्वीकृति उसी दिन **"उपाबंध 4(ब)"** अनुसार दी जावेगी, जिस दिन मूल प्रति प्राप्त हुई।

विभाग की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा एवं औद्योगिक इकाई की ओर से स्वामी/ साझेदार/संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि (यथा स्थिति जो लागू हो) के द्वारा अनुबंध निष्पादित होगा। प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो राज्य/ जिला स्तरीय समिति के समक्ष इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जावेगा।

प्रकरण के निरस्त होने पर सदस्य सचिव द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।

समिति के निर्णय हेतु यथास्थिति जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी, सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा । सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत टीप एवं अभिमत को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें ।

7.5– अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी स्वीकृति दिनांक के क्रम में किया जावेगा।

7.6– उद्योग संचालनालय द्वारा स्थायी पूंजी अनुदान के बजट का आवंटन अनुदान स्वीकृति के क्रम के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा। उद्योग संचालनालय स्तर से बजट का आवंटन पृथक से अनुदान स्वीकृति के क्रम में किया जावेगा।

7.7– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी। जिला व्यापार एवं उद्योग

केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

7.8— स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् ही अनुदान वितरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी ।

7.9— बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

7.10— समिति का स्वरूप :—

(अ) जिला स्तरीय समिति :—

1—	कलेक्टर	**अध्यक्ष**
2—	उद्योग संचालनालय में पदस्थ अधिकारी जो न्यूनतम संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी हो	**उपाध्यक्ष**
3—	लीड बैंक अधिकारी	**सदस्य**
4—	वाणिज्यिक कर अधिकारी	**सदस्य**
5—	महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (जो राज्य शासन उद्योग विभाग के न्यूनतम उप संचालक स्तर का अधिकारी हो)	**सदस्य**
6—	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	**सदय सचिव**

(ब) राज्य स्तरीय समिति :—

1—	**आयुक्त/संचालक उद्योग,**	अध्यक्ष
2—	**अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर**	सदस्य
3—	**प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो0 लि0**	सदस्य
4—	अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय	**सदस्य सचिव**

(स) जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति—2 से होगी ।

जिला स्तरीय समिति की बैठकों में अध्यक्ष के उपस्थित न हो पाने पर बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जावेगी एवं प्रकरणों पर निर्णय लिया जावेगा ।

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठकों में पूर्ण प्रकरण पंजीयन कमांक को उल्लेखित करते हुए रखे जावेंगे।

(द) योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

(1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त स्वत्वों का संकलन करना/ परीक्षण की कार्यवाही करना/ वांछित समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना ।

(2) योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक 03 माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना ।

(3) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।

(4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में अग्रेषित करना ।

(5) सदस्य सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह समिति के समक्ष समिति की बैठक की निर्धारित तिथि के 15 दिवस पूर्व तक के समस्त प्रकरणों को पंजीयन क्रमांक वार समिति के समक्ष रखे, प्रकरणों का निराकरण कराये एवं निराकरण की स्थिति से औद्योगिक इकाईयों को अवगत कराये, समिति से अनुदान स्वीकृति का निर्णय उपरांत निर्धारित अवधि में अनुदान स्वीकृति बाबत् सूचना पत्र जारी करें व मूल अनुबंध की पंजीकृत प्रति प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति आदेश जारी करें ।

(6) स्वीकृति प्रकरणों में बजट आवंटन प्राप्त कर अनुदान विवरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही इस प्रकार करे कि बजट आवंटन प्राप्त होने के उपरांत शीघ्र ही नियमानुसार अनुदान का वितरण यथा शीघ्र हो जायें।

(इ) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी :-

1- अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना के क्षेत्र तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना ।

2- समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के निर्णय का या जिला स्तरीय समिति के निर्णय की समीक्षा/सुनवाई कर सकेगी, किन्तु किसी प्रकरण विशेष में स्वीकृति आदेश को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने पर संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावेगा ।

3- जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किसी निर्णय के विरूद्ध की गयी अपील पर राज्य स्तरीय समिति सुनवायी कर निर्णय लेगी ।

4- आवेदन देने में हुए विलंब से संबंधित प्रकरणों का निपटारा राज्य स्तरीय समिति द्वारा ही किया जायेगा।

5- नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग बंद हो जाने अथवा योजना से संबंधित कोई अन्य बिंदु जिसका अधिसूचना में उल्लेख नहीं है, पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा ।

8 **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के वितरण की प्रक्रिया**

(1) स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2014–19 के **"परिशिष्ट 1"** में स्थायी पूंजी निवेश की परिभाषा में दिये गये विवरण अनुसार की जावेगी ।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज एवं फिल्म उद्योग के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा ।

(3) मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान पांच वार्षिक किश्तों में किया जावेगा। प्रथम किश्त की गणना अवधि अनुदान स्वीकृति के वित्तीय वर्ष से की जावेगी ।

(4) किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान का आंशिक वितरण होने पर आगामी वर्षों में उद्योग में उत्पादन बंद कर देने पर या अनुबंध की किसी कंडिका का उल्लंघन करने पर अनुदान का शेष वितरण तब तक नहीं किया जावेगा जब तक की उद्योग प्रारंभ न हो जावे / कंडिका का उल्लंघन दूर न कर लिया जावे।

(5) जिन औद्योगिक इकाईयों को मार्जिनमनी अनुदान वितरित हुआ है, वितरित राशि स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में कम कर अनुदान का वितरण किया जायेगा।

9. अपील /वाद

(1) औद्योगिक इकाई द्वारा जिला स्तरीय समिति के किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को एवं राज्य स्तरीय समिति के किसी आदेश के विरूद्ध राज्य अपीलीय फोरम को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी । राज्य अपीलीय फोरम का गठन निम्नानुसार होगा :–

राज्य अपीलीय फोरम :–

1.	**भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**	**अध्यक्ष**
2.	**भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यकर विभाग**	**सदस्य**
3.	**प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यकर विभाग**	**सदस्य**
4.	**प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विधायी कार्य विभाग**	**सदस्य**
5.	**प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**	**सदस्य सचिव**

राज्य अपीलीय फोरम की गणपूर्ति चार की होगी एवं अनुक्रमांक 2 अथवा 3 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता अथवा अन्य विवाद की दशा में भी राज्य अपीलीय फोरम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी माना जावेगा।

राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय के कार्यालय में एवं राज्य अपीलीय फोरम में अपील करने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग

विभाग के कार्यालय में आदेश संसूचित होने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी ।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज एवं फिल्म उद्योग के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000, मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000, वृहद उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 5000 तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में रूपये 10000 का भुगतान करने पर ही अपील विचार हेतु स्वीकार होगी ।

अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति, निःशक्त/ नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

(3) अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

(4) अधिसूचना से संबंधित किसी बिन्दु पर राज्य स्तरीय समिति/राज्य अपीलीय फोरम यथा स्थिति जो लागू हो, प्रकरण के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

(5) राज्य स्तरीय समिति /राज्य अपीलीय फोरम द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेश पारित किया जावेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन नियमानुसार समझा जावे ।

10. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वसुली

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि की निम्न परिस्थितियों में वसूली योग्य होगी–

10.1– औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है/ गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

10.2– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5.2 में उंल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।

10.3– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र/सेवा–निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र /अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक, विदेशी तकनीक से संबंधित प्रमाण पत्र, महिला उद्यमी आदि से संबंधित प्रमाण–पत्र/ अभिलेख/घोषणा पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त/ आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

10.4– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

10.5– प्रति वर्ष स्वप्रमाणित उत्पादन व विकय संबंधी जानकारी उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को न दिया जावे ।

10.6– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।

10.7– उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक 10.1 से 10.6 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/ अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश, जिला / राज्य स्तरीय समिति की ओर से सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अधिरोपित कर वसूली की जायेगी ।

10.8 वसूल की जाने वाली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य भी की जा सकेगी ।

11 <u>अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–</u>

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक स्वप्रमाणित उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे । यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान के प्रथम वितरण दिनांक के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(3) अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जावेगा ।

(4) अनुदान स्वीकृति के उपरांत भी अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क0 5.2 में उल्लेखित प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान प्राप्ति तक व अनुदान प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक बनाये रखना होगा ।

12– <u>स्वप्रेरणा से निर्णय :–</u>

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

13 योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

14 इस योजना के अर्न्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

15 नियमों की व्याख्यां, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

16– **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, उप-सचिव.

"उपाबंध–1"

(नियम 7.1)

"छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2014" के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का आवेदन पत्र

1– **औद्योगिक इकाई का नाम व पता**

2– **औद्योगिक इकाई का संगठन**

3– **उद्यमी का वर्गीकरण** – सामान्य /अप्रवासी भारतीय –प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ0डी0आई0) /निर्यातक/ विदेशी तकनीक से संबंधित निवेशक/अनुसूचित जाति/ जनजाति / महिला /निःशक्त/ सेवा निवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति

4– **औद्योगिक इकाई का आकार**– सूक्ष्म एवं लघु/ मध्यम/वृहद / मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

5– **औद्योगिक इकाई का स्वरूप**– नवीन / विस्तार/ शवलीकरण

6– **औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल**

1 स्थान
2 विकास खण्ड
3 जिला
4. औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्र

7– **पंजीयन**

1– लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/आशय पत्र /औद्योगिक लायसेंस/आई0ई0एम0
2– ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
3– वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
4– सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज /स्थापित राईस मिलों में आधुनिकीकरण से संबंधित इन्द्राज ।

8– कनेक्टेड विघुत भार व विद्युत कनेक्शन प्रदाय दिनांक

9– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

10– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

11– योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क्र0	प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	ई.एम. पार्ट–1/आई.ई. एम./आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .... तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निर्धारित अवधि ... . तक अर्थात दिनांक ....तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)
(1)	1.1 भूमि – (भूमि का रकबा ....) अ– वास्तविक कय मूल्य /प्रीमियम/ ब– मुद्रांक शुल्क स– पंजीयन शुल्क 1.2 भूमि विकास **योग–**		
(2)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम **योग–**		
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) – 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण 3 अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण 4 परीक्षण उपकरण 5 स्थापना संबंधी व्यय **योग–**		
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश – अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)		
(5)	ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश **योग–**		

	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) **योग–**		
	महायोग–		

12– योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

13– रोजगार (नवीन उद्योगों के प्रकरणों में)–

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग				
कुशल वर्ग				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग				
योग				

ब– **विद्यमान औद्योगिक इकाई/सेवा उद्यम में रोजगार** (विस्तार एवं डायवर्सीफिकेशन (शवलीकरण) हेतु)

श्रम वर्ग	विद्यमान औद्योगिक इकाई के रूप में दिया गया रोजगार (विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक तक)			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण हेतु दिया गया अतिरिक्त रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण के पश्चात् दिया गया कुल रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण के उपरांत प्रदत्त रोजगार में हुई वृद्धि	
	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अकुशल वर्ग											
कुशल वर्ग											
प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग											
योग											

14– विद्युत भार–

15– **औद्योगिक इकाई के स्वामित्व के अन्य उद्योगों का विवरण** –

1– नाम व पता

2– कारखाना स्थल

अ– ग्राम / नगर

ब– तहसील

स– जिला

द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण

16– आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण

17– पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/ मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त किया हो तो उसका विवरण

18– अन्य

19– संलग्न दस्तावेजों की सूची

टीप– उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें ।

स्थान–

दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

शपथ पत्र

1- यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :-

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2014 का पूर्णत: अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व-प्रमाणी अभिलेख पूर्ण रूप से सही है

2- उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में क्रमश: न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान प्राप्ति दिनांक तक व अनुदान प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षो तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा।

3- औद्योगिक नीति 2014-19 के अन्तर्गत स्थापित उद्योग सामान्य श्रेणी/प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग है। प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राथमिकता श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी हैं।

4- भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्थाओं/बैंक को स्थायी पूंजी निवेश से संबंधित अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है।

या

भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्थाओं/बैंक को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु आवेदन किया है/............ रूपए अनुदान स्वीकृत है/............. रूपए वितरित है। (स्वीकृत/वितरित किये जाने वाले विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक का नाम दिया जावे)

5- उद्योग उत्पादनरत् व कार्यरत् है।

6- जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम

1. 1974 के तहत् प्राप्त प्लांट संचालन सम्मति
2. वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत् प्लांट संचालन सम्मति
3. जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत (डिस्चार्ज ऑफ एफन्यूस्ट इन टू नेचुरल वाटर रिसोसेस) की सम्मति
4. चीफइन्सपेक्टर ऑफबायलर्स द्वारा बायलर अधिनियम के अंतर्गत सम्मति
5. अन्य सम्मतियां (जो उद्योग पर लागू होती है)

7- उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के

हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

दिनांक

टीप-आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें।

उपाबंध–2

संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)
(औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट–2)

(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
(2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
(3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
(4) आरा मिल (सॉ मिल)
(5) लेदर टैनरी
(6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
(7) किसी भी उत्पाद की रि–पैकिंग
(8) मिनरल वाटर
(9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
(10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
(11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग / ग्राईडिंग / पलवराइजिंग
(13) स्टोन क्रेशर / गिट्टी निर्माण
(14) स्पंज आयरन
(15) क्लिंकर
(16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
(2) हालर मिल
(3) मुरमुरा मिल
(4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
(5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी
(6) मिनी सीमेंट प्लांट
(7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप –संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

उपाबंध–3

कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट–4)

कोर सेक्टर के उद्योग (अपात्र उद्योग)

कोर सेक्टर की श्रेणी में निम्नांकित मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स आयेगें –

1. स्टील संयंत्र
2. सीमेंट संयंत्र
3. ताप विद्युत संयंत्र
4. एल्युमिनियम संयंत्र

"उपाबंध–04(अ)"

(नियम 7.1)
(आवेदन पत्र प्राप्ति अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला................................
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता...
द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2014 ....
के अन्तर्गत पूर्ण आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,
मेसर्स..
....
....

"उपाबंध–04(ब)"

(नियम 7.4)
(पंजीकृत अनुबंध प्राप्ति अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला................................
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता...
द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2014 ....
के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान राशि रू. .... बाबत पंजीकृत अनुबंध दिनांक .... की मूल प्रति आज दिनांक .... को प्राप्त हुई।
स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,
मेसर्स..
....
....

''उपाबंध 5''

(नियम 7.2)

''स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्लेम का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन''

निरीक्षण / सत्यापन दिनांक.....................

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता–

2– उद्योग का संगठन–

3– **उद्यमी का वर्गीकरण** – सामान्य /अप्रवासी भारतीय –प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ0डी0आई0) /निर्यातक/ विदेशी तकनीक से संबंधित निवेशक/अनुसूचित जाति/ जनजाति / महिला /निःशक्त/ सेवा निवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति

4– **औद्योगिक इकाई का आकार** – सूक्ष्म एवं लघु/ मध्यम/वृहद / मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

5– **औद्योगिक इकाई का स्वरूप**– नवीन / विस्तार/ शवलीकरण/

6– **औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल**

1 स्थान

2 विकास खण्ड

3 जिला

7– **पंजीयन**

1– लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1/आशय पत्र /लायसेंस/आई0ई0एम0

2– ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

3– वेट कर अधिनियम के तहत् पंजीयन

4– सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज /स्थापित राईस मिलों में आधुनिकीकरण से संबंधित इन्द्राज ।

8– कनेक्टेड विघुत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

9– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

10– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

11– सकल पूंजीगत लागत का विवरण

क्र0	प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	ई.एम. पार्ट–1 / आई.ई.एम. / आशय पत्र / औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .. .. तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निर्धारित अवधि .... तक अर्थात दिनांक .... तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में
(1)	**1.1 भूमि –** अ– भूमि का रकबा ब– वास्तविक कय मूल्य /प्रीमियम/ स– मुद्रांक शुल्क द– पंजीयन शुल्क **1.2 भूमि विकास –** योग		
(2)	**शेड–भवन –** 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम **योग**		
(3)	**प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) –** 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय **योग**		
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश –** अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल / विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश **योग**		

(5)	**जल आपूर्ति निवेश –** औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) **योग–**		
	महायोग		

12– रोजगार –

(अ) नवीन उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों हेतु

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग					
2	कुशल वर्ग					
3	प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग					
	महायोग					

ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई/सेवा उद्यम में रोजगार (विस्तार एवं डायवर्सीफिकेशन (शवलीकरण) हेतु)

श्रम वर्ग	विद्यमान औद्योगिक इकाई के रूप में दिया गया रोजगार (विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक तक)			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/ शवलीकरण हेतु दिया गया अतिरिक्त रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/ शवलीकरण के पश्चात् दिया गया कुल रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/ शवलीकरण के उपरांत प्रदत्त रोजगार में हुई वृद्धि	
	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अकुशल वर्ग											
कुशल वर्ग											
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग											
योग											

13- **सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति**

1- भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)

2- भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)

3- शेड-भवन (निर्मित क्षेत्र का वर्गीकरण)

4- प्लांट एवं मशीनरी (स्थापित है अथवा नहीं/मशीनरी चालू है अथवा नहीं)

5- विद्युत आपूर्ति निवेश (विद्युत कनेक्शन की तिथि एवं अन्य बिन्दु)

6- जल आपूर्ति निवेश (जल कनेक्शन तिथि/अन्य बिन्दु)

14- **विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार/शवलीकरण प्रकरणों में प्लांट एवं मशीनरी के निवेश में हुई वृद्धि व वृद्धि का प्रतिशत**

15- **विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार/शवलीकरण प्रकरणों में रोजगार में हुई वृद्धि व वृद्धि का प्रतिशत**

16- **विद्युत भार-**

17- **औद्योगिक इकाई की अन्य इकाईयों को दिये गये अनुदान/छूट एवं रियायतों पर टीप (यदि लागू हो)**

1- नाम व पता

2- कारखाना स्थल

अ- ग्राम/नगर

ब- तहसील

स- जिला

18- **टीप/अभिमत/अनुशंसा**

1- भौतिक स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के समय गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल, पार्क एवं भूमि विकास पर किये गये निवेश के संबंध में।

2- स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची का सत्यापन इकाई के लेखा पुस्तकों से किये जाने बाबत्।

3- पूर्व में प्राप्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/मार्जिन मनी अनुदान के संबंध में।

4- विलंबित आवेदनों पर इकाई द्वारा बताये गये विलंब के कारणों पर टीप।

5- भारत सरकार/राज्य शासन या इसके किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/आयोग/मंडल/वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान प्राप्त न करने बाबत् टीप

6- संतृप्त श्रेणी के उद्योग/कोर सेक्टर/प्राथमिकता श्रेणी से संबंधित उद्योगों के सन्दर्भ में पात्रता टीप।

7- स्थायी पूंजी निवेश को अमान्य करने के कारण (मदवार, राशिवार)।

8- विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण।

9- अनुदान की पात्रता के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा।

10- अन्य बिंदु, जो क्लेम प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु आवश्यक समझे जावें।

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)
नाम
पद
कार्यालय

निरीक्षणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा/अभिमत एवं टीप पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की अनुशंसा एवं अभिमत

"उपाबंध–6"
नियम 7.1 (4)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट–1 क्र0 .... एवं ई0एम0 पार्ट–2/आई.ई.एम. क्रमांक ....एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक............................ दिनांक .... है व जिसके अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ... . है, में ई0एम0 भाग–1/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस की तिथि .... से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक...............................तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से ....अवधि तक निम्नानुसार रूपये.......................(अक्षरों में).. है, का स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन औद्योगिक इकाई के लेखा पुस्तको/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान के पश्चात् किया गया है:–

क्र0	विवरण	ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. /आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .... तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निर्धारित अवधि .... तक अर्थात दिनांक ....तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में	कुल निवेशित राशि (3+4)
1.	2.	3.	4.	5.
(1)	**1.1 भूमि –** अ– भूमि का रकबा ब– वास्तविक कय मूल्य /प्रीमियम/ स– मुद्रांक शुल्क द– पंजीयन शुल्क **1.2 भूमि विकास –** योग			
(2)	**शेड–भवन –** 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन			

	7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम **योग**			
(3)	**प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) –** 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय **योग**			
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश –** अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश **योग**			
(5)	**जल आपूर्ति निवेश –** औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
	योग			

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

"उपाबंध–7"
(नियम 7.1 (5)
(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट–1 क0 .... ई0एम0 पार्ट–2 क्रमांक / आई.ई.एम. ..../ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक.. दिनांक .... है, ने दिनांक..........................तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत निम्नानुसार रूपये................................(अक्षरों में)........................... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन वास्तविक माप / भौतिक सत्यापन के आधार पर किया गया है :–

क0	विवरण	मात्रा / साईज	दर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
(1)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग			
(2)	अन्य सामाजिक / अधोसंरचना पर किया गया व्यय – गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल			
(3)	भूमि विकास (भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, ड्रेनेज निर्माण व अन्य)			
	योग			

स्थान :
दिनांक:

चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

''उपाबंध 8''
(नियम 7.1 (6)
स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची

शीर्ष – भूमि, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश

क्र.	दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक / चालान क्रमांक	राशि

(1)

स्थान– हस्ताक्षर
दिनांक– आवेदक इकाई का नाम व पता

(2)

स्थान– हस्ताक्षर
दिनांक– नाम व पता
सील
चार्टर्ड एकाउण्टेंट कमांक व दिनांक

टीपः– 1– सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये ।
3– सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।
4– निवेश /व्यय शीर्ष हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे– जैसे भूमि, शेड भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश आदि
5– सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो ।

''उपाबंध–9''
(नियम 7.4)
स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. .... के अन्तर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2014** के नियम क्रमांक ''7.10'' के तहत् गठित राज्य स्तरीय समिति /जिला स्तरीय समिति की ....बैठक दिनांक............ में दी गयी स्वीकृति व **छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2014 की कंडिका ....में** प्राप्त अधिकारों के अधीन निम्नानुसार **स्थायी पूंजी अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– पंजीयन क्रमांक

3– उद्योग का स्वरूप :
(नवीन / विस्तार / शवलीकरण)

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश –

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –
....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक /
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / अपर
संचालक / संयुक्त संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
एवं
सदस्य सचिव
जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय
समिति

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक ....

क्रमांक एफ–20–68/2015/11/6, चूंकि राज्य शासन को ''छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016'' के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित ''स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.08.2015 द्वारा जारी **''छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम–2014''** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.12 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोडे जायें, अर्थात्

5.13 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की पात्रता होगी।

5.14 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रूपये या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत, **जो भी अधिक हो**, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि के लिये किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं उक्त अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी।

टीप– उपरोक्त कंडिका 5.13 एवं 5.14 के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.3 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़े जायें, अर्थात्

6.4 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को यदि राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001–06 अथवा औद्योगिक नीति 2004–09 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 अथवा औद्योगिक नीति 2014–19 संबंधित औद्योगिक नीति एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् यदि **अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान** प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशिक प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर उपरोक्त पैरा 6 में उप पैरा 6.2 की तालिकाओं के तहत् औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु लागू दर एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से श्रेणीकृत (सामान्य उद्योग/प्राथमिकता उद्योग) आधार पर पूर्ण अथवा शेष बची अनुदान राशि, जैसी भी स्थिति हो, दिया जावेगा।

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/ औद्योगिक नीति 2009–14/ औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो स्थायी पूंजी निवेश अनुदान को स्वीकृत करने में केवल नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमतः पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त उप पैरा 5.14 अनुसार होगी।

6.5 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/औद्योगिक नीति 2009–14 / औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत उप पैरा 6.4 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी। अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त उप पैरा 5.14 अनुसार होगी।

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7 में उप पैरा 7.1(9) के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा 7.1(10) जोड़ा जावे, अर्थात्

(10) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.08. 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
नया रायपुर दिनांक 29-10-16

पृष्ठा.क्रमांक एफ–20–68/2015/11/6

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
   कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग